



2026:AHC:42344

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-7498 वर्ष 2026

अबान कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राजेश प्रताप सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव,

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1-पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

2-प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष स्वयं को इस आदेश से आहत अनुभव करता/करती है, तो उसे आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

3-वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मुख्यतः यह राहत प्रार्थित की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2/जिलाधिकारी, जनपद मैनपुरी को निर्देशित किया जाए कि वे धारा 67(5), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत दायर अपील संख्या-510 वर्ष 2025 का शीघ्र निस्तारण करें।

4-उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दीर्घकाल से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु अब तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5-प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या-2/जिलाधिकारी, जनपद मैनपुरी उपर्युक्त अपील का विधि के अनुसार, **यथाशीघ्र एवं अधिमानतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें**, तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।